राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

कमांक : प. 14(26)कार्मिक / क–2 / 08 जयपुर, दिनांक : 30 JAN 2009

समस्त प्रमुख शासन सचिव /
शासन विशिष्ठ सचिव / शासन सचिव।
समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स सहित)

परिपत्र

राज्य सरकार के अधीन विभिन्न सेवाओं के अधिकारियों / कर्मचारियों व अन्य अभ्यर्थियों द्वारा संबंधित सेवा नियमों के प्रावधानों (यथा–भर्ती, वरिष्ठता परिवीक्षा, एवं पदोन्नति आदि) को न्यायालय में चुनौती दिए जाने पर संबंधित प्रशासनिक विभाग / विभागाध्यक्ष के साथ राज0 लोक सेवा आयोग एवं कार्मिक विभाग को भी पक्षकार बनाया जाता है तथा कतिपय प्रकरणों में संबंधित प्रशासनिक विभाग / विभागाध्यक्ष को पक्षकार नहीं बनाकर मुख्य सचिव महोदय, कार्मिक विभाग एवं राज0 लोक सेवा आयोग को ही पक्षकार बनाया जाता है।

उपर्युक्त सभी प्रकृति के प्रकरणों में प्रचलित स्थिति यह है कि कार्मिक विभाग औपचारिक (प्रोफोर्मा) पक्षकार होता है, इसलिए कार्मिक विभाग की ओर से भी संबंधित विभाग / विभागाध्यक्ष द्वारा न्यायालय में समुचित पैरवी की जाती रही है तथा किसी प्रकरण में यदि किसी बिन्दु–विशेष पर कार्मिक विभाग से राय / टिप्पणी की आवश्यकता होती है, तो प्रशासनिक विभाग / विभागाध्यक्ष तदनुसार राय / टिप्पणी प्राप्त कर समुचित पैरवी करते रहे हैं।

कतिपय प्रकरणों के अवलोकन से ध्यान में आया है कि प्रशासनिक विभाग / विभागाध्यक्ष द्वारा नियुक्त प्रभारी अधिकारी द्वारा कार्मिक विभाग की ओर से भी पैरवी सुनिश्चित नहीं करने के कारण माननीय न्यायालय द्वारा महाधिवक्ता / अति0 महाधिवक्ता / राजकीय अधिवक्ताओं को कार्मिक विभाग की ओर से भी पक्ष रखने हेतु निर्देशित किया जाता है। सेवा नियम कार्मिक विभाग द्वारा ही जारी किए जाते हैं, इस कारण महाधिवक्ता / अति. महाधिवक्ता / राजकीय अधिवक्ता संबंधित प्रशासनिक विभाग / विभागाध्यक्ष के बजाय कार्मिक विभाग से तथ्यात्मक टिप्पणी / रिपोर्ट हेतु सम्पर्क करते हैं। कतिपय प्रशासनिक विभाग / विभागाध्यक्ष भी कुछ प्रकरणों में कार्मिक विभाग से तथ्यात्मक टिप्पणी / रिपोर्ट उपलब्ध कराने व प्रभारी अधिकारी नियुक्त कर उस विभाग की ओर से भी न्यायालय में पक्ष प्रस्तुति हेतु कार्मिक विभाग को लिखते हैं जिससे न्यायालय के समक्ष लंबित प्रकरणों में अनावश्यक विलम्ब होता है।

सेवा नियमों को व्यवहार में कियान्वयन करने एवं उनकी पालना सुनिश्चित करने का दायित्व संबंधित प्रशासनिक विभाग / विभागाध्यक्ष का है, इसलिए सेवा नियमों के संबंध में न्यायालय के समक्ष सुनवाई हेतु आने वाले प्रकरणों, जिनमें कार्मिक विभाग को भी पक्षकार बनाया गया है, में कार्मिक विभाग की ओर से समुचित पैरवी सुनिश्चित करने की व्यवस्था निम्न प्रकार होगी :–

03/09

(i) जिन प्रकरणों में कार्मिक विभाग के साथ प्रशासनिक विभाग/विभागाध्यक्ष को पक्षकार बनाया गया है, उनमें पूर्व की भांति संबंधित प्रशासनिक विभाग/विभागाध्यक्ष पैरवी सुनिश्चित करेंगें।

(ii) जिन प्रकरणों में संबंधित प्रशासनिक विभाग/विभागाध्यक्ष को पक्षकार नहीं बनाया गया है तथा राजस्थान लोक सेवा आयोग के साथ मुख्य सचिव महोदय/कार्मिक विभाग को पक्षकार बनाया बनाया गया है, उनमें राजस्थान लोक सेवा आयोग पैरवी सुनिश्चित करेगा।

(iii) किसी प्रकरण में यदि किसी बिन्दु-विशेष पर कार्मिक विभाग की राय/टिप्पणी की आवश्यकता हो तो पूर्व की भांति प्रशारानिक विभाग/विभागाध्यक्ष तदनुसार राय/टिप्पणी प्राप्त कर सकेंगे।

(iv) साथ ही न्याय विभाग की वेबसाईट लाइट्स (LITES) में इन्द्राज से संबंधित सूचना भी समय-संमय पर न्याय विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

अतः समस्त प्रशासनिक विभाग/विभागाध्यक्षों को निर्दिष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देशों की कठोरता से पालना सुनिश्चित करावें।

27.1.09

(डी.सी. सागन्त)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, राज0 लोक सेवा आयोग, अजमेर।
2. सचिव, लोकायुक्त, राज0 जयपुर।
3. सचिव, राज0 विधान सभा, जयपुर।
4. पंजीयक, राज0 उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
5. पंजीयक, राज0 सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
6. महाधिवक्ता, राज0 उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।

(परविन्दर सिंह)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय, राज0, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री राज0, जयपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव, राज0, जयपुर।
4. रक्षित पत्रावली।

प्रमुख शासन सचिव

03/09